

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (गुप-2) विभाग

क्रमांक प.16(1)चि.स्वा./गुप-2/18

जयपुर, दिनांक : 26.02.2018

आ दे श

निम्न अधिकारियों के विरुद्ध जांच विचाराधीन होने के कारण राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-1958 के नियम-13 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार इन्हें तुरन्त प्रभाव से राज्य सेवा से निलम्बित करने के एतद द्वारा आदेश प्रदान करती है:-

1. डा. राधाकृष्ण मीणा, चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, टामटिया, डूंगरपुर
2. डा. वसन्त अचरा (Vasant Achra), चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, रघुनाथपुरा, डूंगरपुर
3. डा. राजेश खराडी, चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पुनाली, डूंगरपुर

निलम्बन काल में उक्त तीनों अधिकारियों का मुख्यालय निदेशक (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राज. जयपुर के कार्यालय में रहेगा। उक्त अधिकारियों को नियमानुसार निर्वाह भत्ता देय होगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

- १० -
(पारस चन्द जैन)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1- विशिष्ट सचिव, मा. चिकित्सा मंत्री महोदय।
- 2- विशिष्ट सचिव, मा. चिकित्सा राज्य मंत्री महोदय।
- 3- निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
- 4- निजी सचिव, शासन सचिव, कार्मिक विभाग को प्रेषित कर निवेदन है कि कृपया उक्त आदेशों की पुष्टि कराने की कृपा करावें।
- 5- जिला कलेक्टर, डूंगरपुर
- 6- निदेशक, जनस्वास्थ्य, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये राज. जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त अधिकारियों के विरुद्ध कार्मिक विभाग के परिपत्रानुसार आरोप पत्रादि अविलम्ब भिजवावें एवं उक्त अधिकारियों की उपस्थिति पंजिका में उपस्थिति दर्ज करावें।
- 7- संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जोन उदयपुर
- 8- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, डूंगरपुर
- 9- संबंधित अधिकारी द्वारा निदेशक, जन स्वास्थ्य
- 10- कम्प्यूटर सेल
- 11- निजी /रक्षित पत्रावली
- 12- प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को संबंधित को ई-मेल करावें एवं विभाग की वेबसाईट पर आज ही अपलोड करावें।

(मोहम लाल वर्मा)
शासन सहायक सचिव